उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: edhr@upcl.org, Website: www.upcl.uk.gov.in

संख्या 4792 –अधि0निदे0(मा0सं0) / उपाकालि /   दिनांक 16/10/2025

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत समस्त पूर्ण कालिक नियमित अधिकारियों / कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान–दिनांक 01 जुलाई, 2025 से प्रवृत्त दरें।

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या–1199 / I(2) / 2017–05–34 / 2016 दिनांक 25–09–2017 एवं उपाकालि, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या–13536–नि(मा0सं0) / उपाकालि / 7वांवे0आ0 दिनांक 28–11–2017 के अनुक्रम में दिनांक 01–01–2016 से अनुमन्य सातवां पुनरीक्षित वेतनमान में उपाकालि के अन्तर्गत कार्यरत समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों / कर्मचारियों को उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या–I/338069/xxvii-10/2025–ई–22807/2022, दिनांक 15–10–2025 की अनुरूपता में दिनांक 01–07–2025 से निम्नानुसार संशोधित दर पर मंहगाई भत्ते की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

तिथि जिस दिन से देय है	प्रतिमाह मंहगाई भत्ते की दर
01 जुलाई, 2025	मूल वेतन का **58** प्रतिशत

2– इस आदेश में स्वीकृत मंहगाई भत्ते के आंकलन हेतु वेतन का तात्पर्य दिनांक 01–01–2016 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान में कर्मचारियों को अनुमन्य मूल वेतन जैसा कि मूल नियम–9(2)(1) में परिभाषित है, से होगा अर्थात् मंहगाई भत्ते का आंगणन हेतु विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन या अन्य वेतन मंहगाई भत्ते हेतु सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

3– इस आदेश द्वारा पुनरीक्षित मंहगाई भत्ता दिनांक 01 जुलाई, 2025 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा तथा दिनांक 01 नवम्बर, 2025 से अधिकारियों / कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित रूप से वेतन के साथ किया जायेगा।

4– इस आदेश द्वारा स्वीकृत / संशोधित मंहगाई भत्ते की देय धनराशि को गणनाक्रम मे निकटतम रूपये तक पूर्णांकित किया जाएगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक का पूरा रूपया माना जाएगा और 50 पैसे से कम धनराशि को शून्य मानकर छोड़ दिया जायेगा।

5– कर्मचारी भविष्य निधि [E.P.F.] से आच्छादित कार्मिकों को मंहगाई भत्ते के एरियर की बारह प्रतिशत धनराशि ई0पी0एफ0 अभिदान के रूप में कटौती करने के पश्चात शेष नकद भुगतान किया जाएगा।

6– अवकाश नकदीकरण में अनुमन्य मंहगाई भत्ते को उसी प्रकार माना जायेगा जिस प्रकार कार्यावधि [DUTY PERIOD] के लिए माना जाता है।

इस आदेशानुसार स्वीकृत / संशोधित बढ़े हुये मंहगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु महाप्रबन्धक(वित्त)वेतन एवं भत्ते, उ0पा0का0लि0, देहरादून द्वारा अलग से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रबन्ध निदेशक

क्रमश :.....–02–

संख्या 4792 –अधि0निदे0(मा0सं0) / उपाकालि / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1– प्रबन्ध निदेशक, उ0पा0का0लि0, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2– समस्त पूर्णकालिक निदेशक, उ0पा0का0लि0, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3– समस्त मुख्य अभियन्ता(स्तर–1) / मुख्य अभियन्ता(स्तर–2) उपाकालि, ... ।
4– समस्त महाप्रबन्धक, उ0पा0का0लि0, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
5– समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0पा0का0लि0, ... ।
6– समस्त उपमहाप्रबन्धक(वित्त), उ0पा0का0लि0, ... ।
7– समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, उ0पा0का0लि0, ... ।
8– समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0पा0का0लि0, ... ।
9– अधिशासी अभियन्ता(सू0प्रौ0), उ0पा0का0लि0, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
10– समस्त अनुभाग, उ0पा0का0लि0, विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
11– कट फाईल।

[डॉ0 आर0 जे0 मलिक]
अधिशासी निदेशक(मा0सं0)